जयपुर डेयरी के नाम से संचालित अवैध बूथों को हटाया

जयपुर । जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) द्वारा अपने अधिकृत विक्रय नेटवर्क की सुरक्षा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा ब्रांड की विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के अंतर्गत आज 31 जुलाई, 2026 को टीम संख्या-4 ने जयपुर डेयरी के नाम से संचालित अवैध बूथों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बूथ संख्या 1147, 11112 एवं 5863 पर लगाए गए अवैध लोहे के केबिनों को हटाया। यह अभियान टी.सी.बी. की 96वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप संचालित किया जा रहा है।

जयपुर डेयरी ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत सरस/जयपुर डेयरी बूथों को ही डेयरी के नाम एवं ब्रांड का उपयोग करने का अधिकार है। डेयरी के नाम का अनधिकृत उपयोग कर संचालित किए जा रहे बूथ उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के साथ-साथ संस्थान की साख को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे सभी मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस एवं जयपुर डेयरी का यह अभियान किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे जयपुर शहर में चरणबद्ध रूप से लगातार जारी रहेगा। आगामी दिनों में महेश नगर, शास्त्री नगर, मानसरोवर, सांगानेर, विद्याधर नगर, प्रताप नगर, जगतपुरा, मालवीय नगर, वैशाली नगर, खातीपुरा, झोटवाड़ा, मुहाना, बनीपार्क, गुर्जर की थड़ी, अजमेर रोड, टोंक रोड तथा अन्य चिन्हित क्षेत्रों में भी जयपुर डेयरी के नाम से संचालित अवैध बूथों एवं लोहे के केबिनों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। ये क्षेत्र संयुक्त रूप से तैयार की गई सूची के अनुसार चिन्हित किए गए हैं।

अवैध बूथों को पूरे जयपुर शहर से पूरी तरह हटाया नहीं जाता, तब तक यह विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा।

डेयरी ने आमजन से अपील की है कि वे केवल अधिकृत सरस/जयपुर डेयरी बूथों से ही दूध एवं दुग्ध उत्पाद खरीदें

आग लगने से तीन इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक

जयपुर। राजधानी के गांधी नगर थाना क्षेत्र स्थित रामबाग सर्किल के पास सुबोध कॉलेज की बेसमेंट पार्किंग में शुक्रवार सुबह अचानक आग लगने से तीन इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। सूचना पर 22 गोदाम फायर स्टेशन से दमकल मौके पर पहुंची और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते अन्य वाहनों को हटाने से बड़ा नुकसान टल गया। फायर वूमन सीता ने बताया कि सुबह करीब 8:45 बजे कॉलेज की बेसमेंट पार्किंग में खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में खड़ी दो अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटी भी उसकी चपेट में आ गईं।

तीनों स्कूटी से उठती आग की ऊंची लपटों और धुएं को देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

लार्जर बेंचों में एमएसीटी की क्लेम राशि पर टैक्स कटौती मामलों में सुनवाई

- **विभिन्न मुद्दों की सुनवाई को लेकर तीन-तीन न्यायाधीशों की चार लार्जर बेंच बनीं**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में शुक्रवार को विभिन्न मुद्दों की सुनवाई को लेकर तीन-तीन न्यायाधीशों की चार लार्जर बेंच बनीं। इनमें तीन लार्जर बेंच जयपुर पीठ के मामलों के लिए और एक लार्जर बेंच जोधपुर मुख्यपीठ के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई थी। हाईकोर्ट के एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली पहली लार्जर बेंच में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई कि क्या एमएसीटी के मामलों में मिलने वाली क्लेम राशि पर मिलने वाला ब्याज आयकर के दायरे में आता है और क्या बीमा कंपनी उस पर टैक्स की कटौती कर सकती है। इस मामले में बीमा कंपनियों की ओर से अधिवक्ता वीरेन्द्र अग्रवाल ने बहस की। बीमा कंपनी की ओर से कहा कि आयकर कानून में प्रावधान है और गाइडलाइन भी बनी हुई है। उसमें ही टैक्स कटौती का प्रावधान है। गौरतलब है कि एमएसीटी की क्लेम राशि पर टैक्स कटौती का यह विवाद 2022 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लार्जर बेंच को भेजा था।

हाईकोर्ट परिसर में मनु की प्रतिमा लगाए जाने से जुड़े विवाद मामले की सुनवाई जस्टिस इन्द्रजीत सिंह, महेन्द्र गोयल व अनूप कुमार ढंड की दूसरी लार्जर बेंच में थी। इस मामले में बेंच को बताया कि प्रार्थी आचार्य धर्मेन्द्र महाराज की मृत्यु हो गई है। इस मामले में कानूनी उत्तराधिकारियों पक्षकार बनाने और रिकॉर्ड पर लेने की प्रक्रिया होनी है। इसलिए समय दिया जाए। लार्जर बेंच ने समय देते हुए सुनवाई टाल दी।

तीसरी लार्जर बेंच जस्टिस वीके भारवानी, जस्टिस उमाशंकर व्यास व जस्टिस प्रवीर भटनागर की थी। इस बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए गंगाराम बनाम राज्य सरकार मामले में दिसंबर 2024 में यह मुद्दा था कि क्या दुष्कर्म व नाबालिग से दुष्कर्म के पॉक्सो मामलों में सजा काट रहे अभियुक्तों को खुली जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है? इस मुद्दे पर लार्जर बेंच में सुनवाई हुई और शनिवार को भी तय की है।

हाईकोर्ट में चौथी लार्जर बेंच जस्टिस विनीत माथुर, जस्टिस कुलदीप माथुर व जस्टिस नुपुर भाटी की बनी। इस लार्जर बेंच के समक्ष इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी कि क्या वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए? लेकन मामले में सुनवाई टल गई।

एक रुपया अधिक वसूलने पर रिलायंस स्टोर पर हर्जाना

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने क्रम 3 ने ग्राहक से टोस्ट के पैक पर अंकित मुल्य से एक रुपए अधिक वसूलने और ऑफर के तहत 9 रुपए में एक किलो चीनी नहीं देने पर रिलायंस स्टोर पर कुल दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर और सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश प्रमोद कुमार खंडेलवाल की ओर से दायर परिवादों पर सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि दोनों मामलों में रिलायंस।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक-2545 दिनांक-20/07/2

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 4/ए/6 जवाहर नगर जयपुर, क्षेत्रफल 531.740 वर्ग मीटर का पश्चातवर्ती अन्तिम क्रेता के पंजीयन हेतु पत्र क्रमांक 2874 दिनांक 28/03/2005 श्री बाबू लाल गुरनानी के पक्ष मे जारी किया गया था। तत्पश्चात श्री बाबूलाल गुरनानी पुत्र श्री खेताचन्द गुरनानी के द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 02/04/2005 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बाबू लाल गुरनानी पुत्र श्री खेताचन्द गुरनानी के द्वारा उक्त आवास के अविभाजित 1/2 हिस्से का बेचान 1. श्री ब्रिशभमर दयाल गोयल पुत्र श्री राधे श्याम गोयल 2. श्रीमती शिमला गोयल धर्मपत्नी श्री ब्रिशभमर दयाल गोयल 3. श्री सतीश चन्द गोयल पुत्र श्री राधे श्याम गोयल एवं 4. श्रीमती नीतू गोयल धर्मपत्नी श्री सतीश चन्द गोयल के कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर, द्वितीय में दिनांक 05/06/2009 को करवाया गया। एवं आवास के शेष अविभाजित 1/2 हिस्से का बेचान भी 1. श्री ब्रिशभमर दयाल गोयल पुत्र श्री राधे श्याम गोयल 2. श्रीमती शिमला गोयल धर्मपत्नी ब्रिशभमर दयाल गोयल 3. श्री सतीश चन्द गोयल पुत्र श्री राधे श्याम गोयल एवं 4. श्रीमती नीतू गोयल धर्मपत्नी श्री सतीश चन्द गोयल को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर द्वितीय में दिनांक 8/10/2009 को पंजीबद्ध करवाया गया। उक्त विक्रय पत्रों के संबंध में संशोधन पत्रों का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर द्वितीय के दिनांक 24/07/2025 को करवाया गया। उक्त संयुक्त खातेदार/क्रेताओ मे से छठे क्रेती श्रीमती शिमला गोयल की मृत्यु दिनांक 04/05/2021 को हो जाने के कारण मृतक के वारिसो 1. श्रीमती प्रियंका उपाधयाय पत्नी श्री निशिन उपाधयाय पुत्री श्री ब्रिशभमर दयाल गोयल 2. श्रीमती ऋतिका बंसल पत्नी श्री राजन बंसल पुत्री श्री ब्रिशभमर दयाल गोयल 3. अभिषेक गोयल पुत्र श्री ब्रिशभमर दयाल गोयल के द्वारा संयुक्त रूप पंजीबद्ध हकत्याग अपने पिता श्री ब्रिशभमर दयाल गोयल पुत्र श्री राधे श्याम गोयल (संयुक्त आवंटी) के पक्ष मे कर दिया गया। उक्त हकत्याग पत्र का कार्यालय उप पंजीयक जयपुर दसम में दिनांक 11/02/2025 को पंजीबद्ध करवाया गया। तत्पश्चात आवास के संयुक्त तीनो आवंटियो 1. श्री ब्रिशभमर दयाल गोयल पुत्र श्री राधे श्याम गोयल 2. श्री सतीश चन्द गोयल पुत्र श्री राधे श्याम गोयल एवं 3. श्रीमती नीतू गोयल धर्मपत्नी श्री सतीश चन्द गोयल के द्वारा संयुक्त रूप से सम्पूर्ण आवास का बेचान उपरोक्त विक्रय पत्र श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा को कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर तृतीय में दिनांक 31/07/2025 को करवाया गया। श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा के द्वारा आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अन्तिम क्रेता का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो निम्नलिखित प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री गणेश नारायण शर्मा का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत तृतीय, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 74/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री देवेश जुनेजा ने पंजीकृत प्रन्यास ट्रस्ट श्री सनातन धर्म मण्डल, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर आदर्श नगर, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 756/जयपुर/1981 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 वके अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत किया। प्रन्यास की मीटिंग दिनांक 17.08.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री कांशीराम, श्री नरेन्द्र कुमार रावल का त्यागपत्र स्वीकार किया गया एवं ट्रस्टी श्री भगतराम अजमानी, श्री प्रीतम सिंह, श्री रामलाल होडा, श्री प्रभुदयाल अरोड़ा श्री बलदेव दास, श्री नन्दलाल मदान श्री हरिराम जुनेजा, श्री चन्द्रप्रकाश पाहवा का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनका नाम ट्रस्ट रजिस्टर से हटाने एवं इनके स्थान पर नवीन ट्रस्टी श्री हितेन्द्र जुनेजा, श्री इन्द्रजीत शर्मा श्री शिवराज अरोड़ा, श्रीमति कविता अरोड़ा श्री सन्दीप नागपाल, श्रीमति रश्मि कालरा श्रीमति पीना अरोड़ा, श्री संजय कोठारी श्री देवेश जुनेजा, श्री विष्णुनाथ अरोड़ा को नियुक्त किया गया। इसके बाद ट्रस्ट की स्थायी समिति का निम्न प्रकार गठन किया गया संचालक श्री श्रीराम जुनेजा, अध्यक्ष श्री देवेश जुनेजा, मंत्री श्री विष्णुनाथ अरोड़ा कोषाध्यक्ष श्री हितेन्द्र जुनेजा, उपाध्यक्ष श्री राजेश मदान, सदस्य श्री इन्द्रजीत शर्मा, श्री शिवराज अरोड़ा, श्रीमती कविता अरोड़ा, श्री संदीप नागपाल, श्रीमती रश्मि कालरा, श्रीमती वीना अरोड़ा, श्री संजय कोठारी उक्त परिवर्तन दर्ज रजिस्टर करने हेतु प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.7.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 7.9.26

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम- 1, जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय में आज दिनांक में विचाराधीन दीवानी इजराय प्रार्थना-पत्र संख्या- 13/ 24 (1459/ 2021) भगवन्ती देवी बनाम छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति आदि के आदेश दिनांक 08.07.2026 की पालना में आम- सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है। यह कि उक्त विचाराधीन प्रकरण में गणेश नारायण कुमावत पुत्र श्री स्व. चौथमल निवासी-63, शिवपुरी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर की मृत्यु दिनांक 14.02.2019 को हो गयी थी जिसके उपरान्त गणेश नारायण कुमावत का पुत्र विनोद कुमावत निवासी-63, शिवपुरी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर विधिक वारिसान के रूप में उपस्थित हुआ है जिसके अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति उक्त गणेश नारायण कुमावत के विधिक वारिसान के रूप में उक्त विचाराधीन प्रकरण में आज दिनांक तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.08.2026 तक उक्त मृतक गणेश नारायण कुमावत के विधिक वारिस विनोद कुमावत के अलावा अन्य कोई हितबद्ध विधिक वारिसान सूचना प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति होवे, अन्यथा न्यायालय द्वारा हितबद्ध विधिक वारिसान की अनुपस्थिति में आगामी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

भवदीय प्रार्थी/ डिक्रीदार जरिये अधिवक्ता मोनी कुमारी रहबी
एनरोलमेन्ट नम्बर- R / 387/2010 मो.नं.- 9929386114

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Mrs. Rajni Minocha W/o Mr. Arvind Kumar Minocha has agreed to sell Flat No. F-1, Plot No. 246A, Gali No. 4, Raja Park, Jaipur, to my client Mrs. Kusum Lata Agarwal W/o Mr. Raj Kumar Gupta. Any person having any claim, right, title, or interest in the said property by way of sale, gift, lease, mortgage, lien, charge, trust, possession, or otherwise, must notify the undersigned with documentary proof within 7 days of this publication. Failing this, the sale transaction will be completed, and any subsequent claims shall be deemed waived.

Date 31-07-2026 Rakesh Kumar Dadhich Advocate (Ph. 9414554025)

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः-2306 दिनांकः-17/07/26

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना मे आवास संख्या 31/190 (MIG-A) (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री रमेश चन्द धोबी पुत्र श्री नन्दाराम धोबी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1698 दिनांक 24.12.1991 को जारी किया गया। श्री रमेश चन्द धोबी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 16.09.1993 को उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री रमेश चन्द धोबी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 27.12.1993 के द्वारा श्री ब्रह्मानन्द जैतवाल पुत्र श्री बालचन्द जैतवाल को विक्रय कर उप पंजीयक- सांगानेर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री ब्रह्मानन्द जैतवाल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 23.06.2020 के द्वारा श्रीमती सुगना बागड़ी पत्नी श्री कमल कुमार सोयल को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर- चतुर्थ के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / क्रेती श्रीमती सुगना बागड़ी पत्नी श्री कमल कुमार सोयल द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती सुगना बागड़ी पत्नी श्री कमल कुमार सोयल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 708/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री सुनीता मेहन, निवासी 9/872, मालवीय नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास प्रेम शांति मेमोरियल ट्रस्ट, 9/870 मालवीय नगर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 28.7.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 1.10.26

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

108 ग्राम गांजे के साथ महिला गिरफ्तार

जयपुर। पुलिस आयुक्तालय की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन चौकस के तहत बिंदायका थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को 108 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान लक्ष्मी सांसी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 108 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला राहगीरों और मजदूरों को गांजा बेचने की फिराक में थी।

यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रशांत किरण के निर्देशन में की गई। बिंदायका थाना प्रभारी अनिल कुमार जैमनी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक गोवर्धन सिंह एवं उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर निमेड़ा स्थित विनायक सिटी में दबिश देकर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

प्रशिक्षण प्रारम्भ

जयपुर। सड़क सुरक्षा को विद्यालयी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी द्वारा बीआरएसीई रोड सेफ्टी स्कूल एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 68 राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

सरकार बहानेबाजी छोड़ करे सकारात्मक चर्चा: टीकाराम जूली

देवनानी ने पूर्व सीएम सुखाडिया को पुष्पाजंलि अर्पित की

- **विधानसभा सत्र में प्रसूताओं की मौत, युवाओं की भर्ती, बेरोजगारी, चिकित्सा, सड़क और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस करेगी सरकार की घेराबंदी**

जयपुर। राजस्थान विधान सभा में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुखाडिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मोहन लाल सुखाड़िया ने विकासोन्मुख सोच से राजस्थान के निर्माण में योगदान दिया। उनका सार्वजनिक जीवन जनहित के प्रति समर्पण का रहा।

विशिष्ट सहायक के. के. शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव संजीव कुमार शर्मा, नंद किशोर शर्मा, उप सचिव सुशील शर्मा, सुनिल अग्रवाल सहित विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भी स्व. सुखाड़िया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि विपक्ष का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को बाधित करना नहीं, बल्कि जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करना है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार सरकार बहानेबाजी छोड़कर सकारात्मक चर्चा करेगी और जनहित के विषयों पर ठोस निर्णय लेने का प्रयास करेगी। टीकाराम जूली ने कहा कि सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जहां प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है और समाधान निकलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार सदन चलाने से बचती रही है। उनका कहना था कि पिछला विधानसभा सत्र भी समय से पहले स्थगित कर दिया गया था, जबकि दो से चार दिन तक बैठकें और चल सकती थीं। सरकार ने उस समय बिजनेस नहीं होने का तर्क दिया, जबकि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बाकी थी और खेजड़ी संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित नहीं हो सका।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संविधान के अनुसार छह महीने के भीतर विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य है, इसलिए सरकार इस बार मजबूरी में सदन बुला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि संवैधानिक बाध्यता नहीं होती तो सरकार शायद सत्र बुलाने से भी बचती।जूली ने कहा कि प्रदेश इस समय अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतें स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, भर्ती प्रक्रियाएं लंबित हैं, छात्र परेशान हैं और सफाई कर्मचारियों की भर्ती सहित कई विभागों में रिक्त पद वर्षों से खाली पड़े हैं।

उपमुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूर्णता पर विशेष जोर देते हुए विकास कार्यों को तेजी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं । उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी । उप मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए की अधिकारी माह में कम से कम 4 बार फील्ड विजिट कर सड़को का निरीक्षण करे। उन्होंने कहा की जब तक अधिकारी फील्ड में जाकर निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक सड़को की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलेगा । उन्होंने कहा की निर्माण कार्यो की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भी फील्ड विजिट जरूरी है। उन्होंने कहा की बारिश के मौसम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये की जलभराव या कटाव की वजह से यदि मार्ग अवरुद्ध हो तो तत्काल मरम्मत कार्य।

उपमुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूर्णता पर विशेष जोर देते हुए विकास कार्यों को तेजी प्रदान करने के निर्देश दिए हैं । उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी । उप मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए की अधिकारी माह में कम से कम 4 बार फील्ड विजिट कर सड़को का निरीक्षण करे। उन्होंने कहा की जब तक अधिकारी फील्ड में जाकर निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक सड़को की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलेगा । उन्होंने कहा की निर्माण कार्यो की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भी फील्ड विजिट जरूरी है। उन्होंने कहा की बारिश के मौसम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये की जलभराव या कटाव की वजह से यदि मार्ग अवरुद्ध हो तो तत्काल मरम्मत कार्य करवाया जाए और इस दौरान वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए ।

खोया पाया

मेरे मकान 4-MA-45 जवाहर नगर, जयपुर के मूल दस्तावेज-आवंटन पत्र, कब्जा पत्र एवं घोषण पत्र कहीं गुम हो गए है। किसी को मिलें तो कृपया सूचित करें। जयनारायण गुर्जर, 4-MA-45 जवाहर नगर, जयपुर 7976735259

मेरे मकान संख्या 117/257 मानसरोवर, जयपुर का मूल कब्जा पत्र कही गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें-आदर्श कुमार शर्मा 9602022022

मेरी दुकान महात्मा ज्योतिबा फुले रिटेल मार्केट में दुकान नंबर सी-108, सी-109 का आवंटन पत्र खो गया है मिलने पर सूचित करें। अनुराधा विजय, मो.नं.- 9024262351

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना

सं: M-09Re-CW-All-2025-26 दिनांक: 28.07.2026 वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (सवमा) अजमेर, भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 19.08.2026 को 15.00 बजे तक ई-निविदा (Single packet system) आमंत्रित की जाती है। **1. कार्य का नाम :** Refilling, Hydraulic pressure testing, Inspection, labelling and change of defective parts of store pressure type ABC Fire Extinguishers (capacity- 04/05/06 Kg.) at coaching depot Udaipur for 03 year. **2. कार्य की अनुमानित लागत :** Rs. 19,20,880.59/- **3. निविदा दस्तावेज की कीमत :** Nil **4. बयाना राशि :** Rs.38,400.00/- **5. ई- प्रस्ताव का वेबसाइट पर अपलोड करना एवं खुलना :** दिनाक 28.07.2026 को अपलोड करना एवं 19.08.2026 को 15:30 पर खुलना **6. Web site particulars : www.ireps.gov.in**

1118-CQ/26

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 711/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह कोठारी, निवासी 281 बी, गुरूनानकपुरा, आदर्श नगर, राजापार्क, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास नवभारत मेमोरियल फाउण्डेशन, 281 बी, गुरूनानकपुरा, आदर्श नगर, राजापार्क, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से नि